किशनाराम बनाम सरकार मु.नं. 163/2016

दिनांक	आज्ञा पत्र
4.11.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आगे न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19.12.24 को पेश हो।
19.12.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. हाजिर। स्वयं उप। वास्ते बहस दिनांक 23.12.24 को पेश हो।
23.12.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश, दिनांक 10.1.25 को पेश हो।
10.1.25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 15.1.25 को पेश हो।
15.1.25	पत्रावली पेश। अपील अपीलाट......डिसमिस...... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 163/2016

1 किशनाराम पुत्र श्री ईशराराम जाति जाट उम्र 58 साल निवासी ग्राम पीपली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रेखा पुत्र ईशरा
2 मेवाराम पुत्र श्री गोरूराम
3 सुभाष पुत्र गोविन्द सिंह
4 भानी देवी पत्नी श्री गोविन्द
5 विद्याधर पुत्र चेतन
6 राजेन्द्र पुत्र चेतन समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम पीपली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
7 पंजाब नेशनल बैंक शाखा खीरवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
8 पटवारी पटवार हल्का सिंगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 उप पंजीयक महोदय लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय मय डिक्री उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ मुकदमा उनवानी दावा मुकदमा नम्बर 184/2015 किशनाराम बनाम रेखा आदि निर्णय दिनांक 21.09.2016 जिसके तहत वादी का वाद खारिज किया गया है। अपील अ. धारा 223 रा.का.अधि.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 184/2015 में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद उद्घोषणा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 97 वाके ग्राम पीपली तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलांट के पूर्वज आशा वल्द मुना के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है, जिसका गलत रूप से ग्राम पंचायत सिंगोदड़ा ने गलत रूप से विरासत नामान्तकरण संख्या 121 के द्वारा हिस्सा बट्टा गलत अंकित कर दिये जबकि अपीलांट के पिता ईशरराम व रेस्पोडेन्ट के पिता गोरूराम, चेताराम, रामेश्वर सभी का 1/4—1/4 हिस्सा विरासतन में था, लेकिन गलत विरासत के आधार पर समान रूप से हिस्सा अंकित नहीं किया। उक्त बात पर न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। अपीलांट मौके पर आज भी 1/4 हिस्से पर काबिज काश्तकार है, अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से ही काश्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

करता चला आ रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत सिंगोदड़ा द्वारा बिना किसी आदेश के व बिना किसी कानून के गलत रूप से आराजी में गलत हिस्सा दर्शाते हुये अपीलांट का रकबा कम ज्यादा की खातेदारी मनमर्जी से दर्ज कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को किसी का रकबा कम ज्यादा करने का अधिकार नहीं है। अपीलांट/वादी द्वारा दिनांक 10.12.2015 को दावा प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट विचारण न्यायालय में दिनांक 28.01.2016 को उपस्थित होने पर अभी तक जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है, बिना जवाब दावा लिये ही कानूनी तनकीयात कायम किये बिना निर्णय कर वादी के वाद को खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 2.76 हैक्टेयर में अपीलान्ट का वर्तमान जमाबंदी में 1/2 हिस्सा दर्ज है, वादग्रस्त आराजी का कुल रकबा 2.76 में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा में रकबा 1.38 दर्ज होना चाहिए था जबकि वर्तमान में अपीलान्ट का हिस्सा 1.18 दर्ज है, रकबा 0.10 हैक्टेयर कम दर्ज है, विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं कर मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 184/2015 किशना बनाम रेखा आदि पेश किया उसमें पेज संख्या 6 की मद संख्या 6 में बकायदा अपीलांट ने दर्ज किया है, कि प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जे काश्त में दखलांदजी की कुचेष्ठा की व ऐलानियां धमकी दी कि आपके नाम खातेदारी दर्ज नहीं है, आपको काश्त नहीं करने देगे, तब वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी ली व नकले दिनांक 03.12.2015 को प्राप्त की तब गलत बने राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तब से वाद कारण व हकनालिस हासिल हुआ तथा वाद सस्थित करना आवश्यक हुआ, इस प्रकार विचारण न्यायालय के निर्णय में वाद कारण उत्पन्न होने का कथन कतई गलत है, तथा इसी प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 0.20 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त सर्दव से चलता आ रहा है जो विक्रय की गई भूमि गलत रिकार्ड ग्राम पंचायत अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसके आधार पर वादी अकेले की 0.10 हैक्टेयर कम हो गई, जिसे दुरूस्त करने वाले के लिये अपीलांट ने विचारण न्यायालय में दावा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पेश किया था इस बाबत आदेश 07 नियम 11 में ऐसी बात दर्ज नहीं है, उसमें केवल वाद विधि विरूद्ध बताया है, तथा जो विक्रय पत्र दिनांक 16.01.1997 उसकी चुनौती की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस लिये विचारण न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 का आवेदन स्वीकार कर वाद खारिज है, व निर्णय न्याय के मूलभूल सिद्धान्तों के विपरित होने से निर्णय मय डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 97 वाके ग्राम पीपली के संदर्भ में उद्घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने इस वाद को वादकरण के अभाव में विचाराधीन निर्णय से आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज किया है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रकबे की कमी दुरूस्त करने की घोषणा चाही है। इस बिन्दु का निर्णय प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना आदेश 07 नियम 11 में वाद खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 15.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर